

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

भवन मानांचेत्र समिति(ल आऊट प्लान) की 95वीं बैठक दिनांक 12-5-2006 का अपरान्ह 2.00 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण एजण्डा संख्या 1, 10 से 12 एवं 16 वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी), एजण्डा सं0 2 से 5, 13, 14, 17 एवं आते. एजण्डा सं0 1 से 2 वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.), एजण्डा सं0 6 से 9 से 15 वरिष्ठ नगर नियोजक(प्राजक्ट) एवं आते. एजण्डा सं0 3 से 5 उप नगर नियोजक, जोन-4 द्वारा तैयार किया गया जिराका राकालित कार्यवाही विवरण:-

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया-

1. श्री माहन लाल गुप्ता, माननाय विधायक, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. श्री नवरतन राजोरया, माननाय विधायक, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
3. श्री हनुमान सिंह भाटी, कायवाहक साचव, जावेप्रा, जयपुर।
4. श्री एस.सी. महागावकर, निदेशक(आयोजना)जावेप्रा, जयपुर।
5. श्री लाकनाथ सोनी, अति.आयुक्त भूमि(पश्चिम) जावेप्रा, जयपुर।
6. श्री श्रवण साहनी, अति. आयुक्त भूमि(पूर्व) जावेप्रा, जयपुर।
7. श्री नीरज तिवारी, वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी) जावेप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-

1. श्री यज्ञानेत्र सिंह देव, अति. आयुक्त (प्रशासन) जावेप्रा, जयपुर।
2. श्री पी अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.) जावेप्रा, जयपुर।
3. श्री अनिल पथारिया, वरिष्ठ नगर नियोजक(प्राजक्ट) जावेप्रा, जयपुर।
4. श्री अरुण गंग, उपायुक्त जोन-1, जावेप्रा, जयपुर।
5. श्री सुखबीर सेनी, उपायुक्त, जोन-12, जावेप्रा, जयपुर।
6. श्रीमती आशा अवस्थी, उप नगर नियोजक(एम.पी.) जावेप्रा, जयपुर।
7. श्री प्रमशकर, उप नगर नियोजक(बीपीसी-स्कीमस) जावेप्रा, जयपुर।
8. श्री अनन्त देव टाक, उप नगर नियोजक जोन-1, जावेप्रा, जयपुर।
9. श्री हीरालाल, उप नगर नियोजक जोन-4, जावेप्रा, जयपुर।
10. श्री हरिप्रसाद शर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन-11, जावेप्रा, जयपुर।
11. श्री मोहन लाल शर्मा, सहायक नगर नियोजक जोन-12, जावेप्रा, जयपुर।

एजण्डा विवरण:-

एजण्डा सं0 1 :- बीपीसी (ल आऊट प्लान) की 94 वीं बैठक दिनांक 27-3-2006 का सम्पन्न हुई के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

बी.पी.सी. (ल आऊट प्लान) की बैठक दिनांक 27.3.2006 के एजण्डा नं. 23 में भूखण्ड संख्या 14, 15, 77, 78, व 87 को सुविधा क्षेत्र में दर्शाये जाने का निर्णय लिया गया था। समिति के सदस्यों को मौका निरीक्षण के दौरान मौक पर निजी खातदार ने सभी सदस्यों को अवगत करवाया गया कि इन भूखण्डों को सुविधा क्षेत्र में दर्शाये जाने से योजना में आवासीय क्षेत्रफल 55% ही मिलता है, इसलिए इन भूखण्डों को सुविधा क्षेत्र में नहीं दर्शाये जावे। कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के समय इस बिन्दु पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात योजना में आवासीय क्षेत्रफल अधिकतम 60% रखते हुए भूखण्ड

-74-

संख्या 14, 15, 77, 78, व 87 को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार योजना मानचित्र अनुमोदित किया जावे।

शेष कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा सं0 2 :- भूखण्ड संख्या 15, स्कीम नं-1 जवाहर नगर टोक रोड, जयपुर को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किये जाने संबंध में।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन द्वारा माननीय सदस्यों को प्रश्नगत योजना का मौका निरीक्षण करवाया जावे तथा मौका निरीक्षण रिपोर्ट सहित प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया

जावे। एजेण्डा सं0 3 :- नवजीवन गृह विकास सहकारी समिति की दादाबाडी योजना के स्वीकृत मानचित्र में अंकित सुविधा क्षेत्रों का भू-उपयोग निर्धारण किये जाने के संबंध में।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन द्वारा माननीय सदस्यों को प्रश्नगत योजना का मौका निरीक्षण करवाया जावे तथा मौका निरीक्षण रिपोर्ट सहित प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

एजेण्डा सं0 4 :- भूखण्ड संख्या 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 व 100 कल्याण कॉलोनी जवाहर लाल नेहरू मार्ग के भूखण्डों को पुनर्गठित किये जाने हेतु।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि

1. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16.4.03 के अनुसार जविप्रा क्षेत्र में स्थित जवाहर लाल नेहरू मार्ग (जे.एल.एन. मार्ग) पर स्थित महावीर उद्यान के दक्षिण ओर से जवाहर लाल सर्किल तक उक्त मार्ग के निर्धारित मार्गाधिकार क्षेत्र के पश्चात् सड़क के दोनों ओर (पूर्व व पश्चिम दिशा में) मास्टर विकास योजना -2011 जयपुर क्षेत्र, जयपुर में दर्शित 200'भू-पट्टी का भू-उपयोग उपान्तरण संस्थानिक के साथ-साथ आवश्यकतानुसार व्यवसायिक बड़े प्रतिष्ठानों हेतु किया गया है। उक्त संदर्भ में समिति द्वारा इन भूखण्डों के पास गौरव टावर व WTP स्थित होने के कारण इसका भू-उपयोग व्यवसायिक उपयोग रखा जाने का निर्णय लिया गया।
2. पुनर्गठित भूखण्ड में वाणिज्यिक उपयोग के अनुसार ही Parameters रखे जावें।
3. भूखण्ड संख्या 90 से 100 का क्षेत्रफल (पुनर्गठन हेतु प्रस्तावित) 1500 वर्गगज से अधिक होने के कारण समस्त तथ्यों के साथ राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाया जावे।

एजेण्डा सं0 5 :- भूखण्ड संख्या 70 गौरव नगर सिविल लाईन को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किये जाने हेतु।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा के संबंध में उपायुक्त जोन द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि चूंकि पूर्व में भूखण्ड संख्या 67 के प्रकरण संख्या 1486 /96 माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 5.3.02 के अनुसरण में सुविधा क्षेत्र से मुक्त कर पट्टे जारी किये जा चुके हैं एवं भूखण्ड संख्या 70 के स्वामी श्री पाहवा जिनके द्वारा उक्त भूखण्ड पर उनके निवास के प्रमाण एवं दिनांक 25.9.89 के आदेश के अनुसार उनके भूखण्ड को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किये जाने की मांग की जा रही है। यदि इस भूखण्ड को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किया जाता है तो योजना का आवासीय प्रतिशत 74.86 हो जायेगा। अतः समिति द्वारा

विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 70 को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.2.02 के अनुसार सुविधा क्षेत्र से मुक्त किया जावे एवं योजना का आयातीय प्रतिशत 70 से अधिक होने के कारण प्रकरण में माननीय राज्यमंत्री नगरीय विकास एवं पदेन अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त की जावे। इसी क्रम में यह भी निर्णय लिया गया कि शेष भूखण्ड मुख्यतः 68, 69 भी मौके पर निर्मित है। अतः इन भूखण्डों को 25.02.2002 के अनुसार जोन द्वारा परीक्षण किया जाकर आगामी बैठक में एजेण्डा प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा सं० 6 :- न्यू पिंक सिटी गृ. नि. स. समिति लि. की योजना कृष्णा विहार विस्तार के भूखण्ड संख्या 19 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने बाबत।

समिति द्वारा जोन 5 द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए न्यू पिंक सिटी गृ. नि. स. समिति लि. की योजना कृष्णा विहार विस्तार के भूखण्ड संख्या 19 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा सं० 7 :- कृष्णा नगर गृ.नि.स. समिति लि. की योजना भगवती नगर द्वितीय के भूखण्ड संख्या 109 ए को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में।

समिति द्वारा जोन 5 द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत भूखण्ड संख्या 109ए, भगवती नगर द्वितीय को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा सं० 8 :- कृष्णा नगर गृ.नि.स. समिति लि. की योजना भगवती नगर द्वितीय के भूखण्ड संख्या 110 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में।

समिति द्वारा जोन 5 द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत भूखण्ड संख्या 110 भगवती नगर द्वितीय को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा सं० 9 :- निजी खातेदार फूलचंद मोहन लाल पुत्र रामदेव योजना गंगा विहार एन्कलेव, ग्राम नृसिंह पुरा तहसील- सागानेर।

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय से पूर्व स्थल निरीक्षण करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा सं० 10 :- बाबा आर. एन. गौड़ गृ. नि. स. समिति की बृज विहार योजना के भूखण्ड संख्या 9 के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया। बृज विहार योजना टोंक रोड पर बीलवा ग्राम के पास स्थित है मारटर विकास योजना 2011 में टोंक रोड की चौड़ाई 300.00 तथा रोड के दोनों साइडों में 100-100 फीट की प्लान्टेशन कोरिडोर निर्धारित है। इसलिए योजना का अधिकांश क्षेत्र टोंक रोड व प्लान्टेशन कोरिडोर में होने के कारण इस योजना को पूर्व में वर्ष 2002 में अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया था। भूखण्ड संख्या 9 के भू-स्वामी ने प्लान्टेशन कोरिडोर में आने वाले क्षेत्र के पश्चात शेष भूखण्ड संख्या 9 को स्वीकृत किए जाने के संबंध में आवेदन किए जाने पर प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया विचार विमर्श पश्चात प्लान्टेशन कोरिडोर के उपरान्त बचे हुए शेष भूखण्ड संख्या 9 को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया साथ में यह भी निर्णय लिया गया कि मौके पर दूसरी योजना में से 30 फुट चौड़ा रास्ता है, उस रास्ते से ही इस भूखण्ड को एप्रोच रहेगी।

एजेण्डा सं० 11:- मैसर्स सन्स सिटी प्रोजेक्ट प्रा. लि. जरिये विपिन बक्षी कि आवासीय योजना ग्राम नीदड तहसील आमेर के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में निजी खातेदार द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गई है कि इस योजना को अनुमोदित किया जाता है तो मेरी भूमि में जाने का रास्ता नहीं मिलता है। इसलिए समिति के सदस्यों ने विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि इस योजना के पास की अन्य खातेदारों की भूमि की उपायुक्त जोन द्वारा जांच की जावे। जांच रिपोर्ट के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।

एजेण्डा सं० 12 :- योजना सीमा के बाहर स्थित भूखण्ड संख्या 18 से 22 अस्वीकृत भूखण्डों के अनुमोदन पर विचार किये जाने हेतु।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पूर्व में प्रस्तुत योजना मानचित्र में खसरा सुपर इम्पोज किए जाने पर भूखण्ड संख्या 18 से 22 खसरा सीमा से बाहर होने के कारण अस्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया था। सहकारी समिति द्वारा दिनांक 22.6.2006 को एक प्रतिवेदन प्राधिकरण में प्रस्तुत किया। जिसमें यह उल्लेख किया गया था, कि यह भूखण्ड खसरा सीमा के अन्दर हैं, इसलिए इन भूखण्डों को स्वीकृत किया जावे। जोन द्वारा खसरा सीमा की पुनः जांच की गई जिसमें पाया कि भूखण्ड संख्या 18 से 22 खसरा सीमा के अन्दर भी है, इसलिए विचार विमर्श पश्चात् इन भूखण्डों का स्वीकृत किए जाने तथा खसरा सीमा सुपर इम्पोज करने में जिनके द्वारा त्रुटि की गयी है उनके विरुद्ध प्रशासनिक स्तर पर जांच की जाकर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा सं० 13 :- भूखण्ड संख्या 18, जय अम्बे नगर जय अम्बे हाउसिंग को ऑपरेटिव सोसायटी की स्वीकृत योजना मानचित्र के भूखण्ड संख्या 18 दर्शाने बाबत एवं स्वीकृत मानचित्र में नम्बरो की त्रुटि को संशोधित किए जाने बाबत।

समिति के समक्ष उपायुक्त जोन द्वारा एजेण्डा प्रस्तुत किया गया व समिति को अवगत कराया गया कि स्वीकृत मानचित्र में भूखण्ड संख्या 18 व 19 कहीं भी अंकित नहीं हैं जबकि भूखण्ड संख्या 26 व 27 दो बार अंकित किया गया है। प्रार्थी का भूखण्ड अनुमोदित नक्शे में 20 नम्बर का है जबकि प्रार्थी के पास भूखण्ड के समस्त दस्तावेज भूखण्ड संख्या 18 के हैं। प्रार्थी के भूखण्ड को नक्शे में संशोधन किया जाकर भूखण्ड संख्या 20 को 18 ए किया जा सकता है। जिससे पूरे स्वीकृत नक्शे में फैंसिलिटी व अन्य भूखण्ड की संख्या प्रभावित नहीं होगी। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि अनुमोदित योजना मानचित्र में भूखण्ड संख्या 20 को 18 ए कर दिया जावे।

एजेण्डा सं० 14 :- विद्याधर नगर सेक्टर 4 के सामने बसी सहकारी समिति की कालोनियो मदनबाडी, राजीव नगर पृथ्वी नगर, जे. पी. कालोनी की मुख्य सड़क मंदिर मोड़ से नया खेड़ा आर. पी. ए. रोड की चौड़ाई के सम्बन्ध में।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात् जोन द्वारा प्रेषित सर्वे मानचित्र पर 120' का रोड एलायन्मेंट अंकित करते हुए प्रभावित भूखण्डों का रिप्लानिंग मैप जो व. न. नि. मास्टर प्लान द्वारा तैयार किया गया है, का अनुमोदन कर दिया गया। अतः यह भी निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 91, जिसको रिप्लानिंग में दर्शाया नहीं गया, को समायोजित करते हुए रिप्लानिंग का पत्रावली पर अनुमोदन किया जावे।

एजेण्डा सं० 15 :- सेक्टर-12 में अमानीशाह नाले के समानन्तर 100' फुट चौड़ी सड़क की स्थिति में संशोधन के सम्बन्ध में

प्रकरण पर समिति द्वारा इस क्षेत्र के सर्वे व रिपोर्ट के अवलोकन पश्चात् निर्णय लिया गया कि क्योंकि सेक्टर 12 की प्लानिंग 20-22 वर्ष पूर्व की गई थी एवं वर्तमान में सांगानेर पुलिया के पास प्रस्तावित 100 फुट चौड़ी सड़क के मार्गाधिकार में अधिकांशतः मकान, बिजली विभाग का कार्यालय, श्मशान, मंदिर आदि निर्मित हो चुके हैं अतः इस क्षेत्र के मार्गाधिकार को गौका स्थिति अनुसार एवं नाले के मध्य से 75 मीटर दूरी सुनिश्चित करते हुए 100 फुट की सड़क प्रस्तावित की जावे एवं यह भी निर्णय लिया गया कि इस प्रस्तावित 100 फुट चौड़ी सड़क का निर्माण भी शीघ्र ही शुरू कर दिया जावे ताकि क्षेत्र के रहवासियों की सेक्टर रोड़ निर्माण की मांग की पूर्ति होने के साथ साथ इस क्षेत्र में यातायात के दबाव को सुचारू एवं सुविधाजनक बनाया जा सके।

एजेण्डा सं० 16 :- मोती भवन गृ. नि. स. समिति की योजना सुदामापुरी (प्रथम) के अनुमोदन भूखण्ड संख्या 14, 15, 16 व अस्वीकृत दुकान संख्या 24, 25 तथा खातेदार के खसरा नं. 351, 352 का 2/3 भाग को वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) के लिए पुर्नगठित करने के सम्बन्ध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। विचार विमर्श पश्चात् भूखण्ड संख्या 14, 15, 16, दुकान संख्या 24, 25 तथा खातेदार के खसरा नं. 351, 352 का 2/3 भाग को पुर्नगठित करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा सं० 17 :- संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना कॉस्मों कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 60 से 63 के संबंध में समझौता द्वारा पारित निर्णय के अनुसार अनुमोदन बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। विचार-विमर्श के दौरान यह नीतिगत निर्णय लिया गया कि गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना में आवासीय व सड़क, सुविधा क्षेत्र का अनुपात 60:40 रखे जाने का प्रावधान है और यदि किसी योजना में उक्त अनुपात बनाये रखने हेतु यदि पूर्व अनुमोदित मानचित्र में संशोधन किया जा सकता है तो उक्त संशोधन योजना में किया जावेगा।

प्रस्तुत प्रकरण में समझौता समिति में लिए गए निर्णयानुसार कार्यवाही किए जाने पर पार्क हेतु छोड़ा गया सुविधा क्षेत्र समाप्त हो जाता है। समझौता समिति द्वारा दिया गया निर्णय जयपुर विकास प्राधिकरण पर बाध्यकारी नहीं है। निर्मित कॉलोनियों में आवासीय प्रतिशत 70:30 तक किए जाने का जयपुर विकास प्राधिकरण को अधिकार है। अतः प्रकरण के संबंध में अनुमोदित योजना मानचित्र में 30-30 फिट की दोनों सड़कों के मध्य भाग पर भूखण्ड संख्या 60 से 63 सृजित कर मानचित्र में तदनुसार संशोधन करने का निर्णय किया गया। अनुमोदित मानचित्र में समझौता समिति द्वारा दर्शाए गए भूखण्डों के स्थान पर पार्क को यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार योजना मानचित्र संशोधित करने का निर्णय किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न अति. एजेण्डाओं पर भी विचार-विमर्श कर निर्णय लिये गये:-

अति. एजेण्डा सं० 1 :- अजमेर रोड़ के उत्तर में पश्चिमी बाईपास के प्रस्तावित 200 फीट सड़क के पूर्व में फुलेरा रेल्वे लाईन के दक्षिण में स्थित क्षेत्र का सेक्टर प्लान के संबंध में।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात् उपरोक्त एरिया के एजेण्डा में दिये गये प्रस्ताव अनुसार सेक्टर प्लान का अनुमोदन किया गया।

अति. एजेण्डा सं० 2 :- पथिक भवन गृह नि. स. स. की योजना 1-सी ग्रैटर कैलाश कालोनी में सड़क की चौड़ाई कम करने बाबत।

पूर्व बीपीसी 11 दिनांक 27.1.06 के निर्णय की अनुपालना में माननीय सदस्यों, उपायुक्त जोन व निर्देशक, नगर आयोजना द्वारा मौका देखा गया व समिति के समक्ष एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात भूखण्ड संख्या सी-15, सी-16, सी-48 व सी-49 के सामने सड़क की चौड़ाई 40' के स्थान पर 30' किये जाने का निर्णय लिया गया।

अति. एजेण्डा सं० 3 :- मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना नन्द विहार के अनुमोदन बाबत।

प्रकरण में उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डे पर समिति द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। नन्द विहार योजना में 19 आवासीय भूखण्ड दर्शाये गये हैं। पूर्व में योजना के भूखण्डों का चन्द्रकला योजना के भूखण्डों से ओवर लेपिंग व कब्रिस्तान की भूमि होने के कारण स्वीकृत नहीं की गयी थी।

वर्तमान में कब्रिस्तान की भूमि के स्थान पर गैंगु नामान्तरण दर्ज हो चुका है तथा मित्र गृ.नि.स. समिति की योजना के कुल 19 भूखण्डों में से जिन भूखण्डों पर चन्द्रकला योजना का होना बतलाया गया है या भूखण्डों के स्वामित्व का विवाद है। ऐसे भूखण्डों भू.सं० 1, 13, 14 को तथा भूखण्ड सं० 22 जिसका विवाद न्यायालय में चल रहा है छोड़ते हुए योजना के शेष भूखण्डों को स्वीकृत करने का निर्णय निम्न शर्तों के साथ लिया गया:-

1. ओवर लेपिंग/विवादित भू.सं. 1, 13, 14, 22 को स्वीकृत नहीं किया जाये।
2. भूखण्डों के सामने रोड की चौड़ाई 30 फिट रखी जाये।
3. भू. सं. 1 के दक्षिण में 60 फिट सेक्टर रोड प्रस्तावित है जिससे योजना का भू. सं. 1 प्रभावित होगा।
4. योजना के भू.सं. 8 का प्रवेश द्वार योजना की सीमा रेखा से बाहर उत्तर में अन्य भूमि में है जो स्वीकृति योग्य नहीं है। अतः भूखण्ड को योजना की रोड से ही पहुँच हेतु रास्ता भू.सं. 9 में से 10 फिट चौड़ी भू पट्टी लेकर योजना के रोड से रास्ता दिया जाये।

अति. एजेण्डा सं० 4 :- तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति लि० की योजना विष्णुपुरी के भू. सं० 15 एवं 26 को सुविधा से मुक्त करने बाबत।

प्रकरण में उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। भू.सं० 15 व 26 स्वीकृत मानचित्र में सुविधा में दर्शाये गये हैं अगर दोनों भूखण्डों को सुविधा से मुक्त किया जाता है तो योजना का आवासीय भू उपयोग 61.07 हो जायेगा। उस भू उपयोग सीमा तक स्वीकृति प्रदान करने बी.पी. सी. सक्षम है। अतः भूखण्डों को सुविधा से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। भूखण्ड योजना में प्रस्तावित 30 फिट चौड़ी रोड पर स्थित है। अतः भूखण्डों में से रोड विस्तार हेतु काटे जाने वाली भूमि को कम करते हुए शेष क्षेत्रफल का नियमन किया जाये।

अति. एजेण्डा सं० 5 :- तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति लि० की योजना कनिष्क कालोनी टॉक रोड के भू.सं. 3 व 3ए को सुविधा से मुक्त करने बाबत।

प्रकरण में उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा व वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट) द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट पर विचार विमर्श किया गया। कनिष्क कालोनी के भू.सं. 3 व 3ए को सुविधा में स्वीकृत किया गया था। समिति द्वारा भूखण्डों में से रोड विस्तार हेतु प्रभावित भूमि को छोड़ते हुए भूखण्डों की शेष भूमि को स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। भूखण्डों को सुविधा से मुक्त करने पर योजना का आवासीय

भू उपयोग 68.18 प्रतिशत हो जाता है जो 70 प्रतिशत से कम है। इस सीमा तक योजना स्वीकृत करने हेतु वी.पी.सी. सक्षम है। अतः भूखण्डों को स्वीकृत कर नियमन करने का निर्णय लिया गया।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

17/5/2006
सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)

क्रमांक :- जविप्रा/वननि/वी.पी.सी./2006/डी-9।

दिनांक :- 17/5/06

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. माननीय विधायक श्री मोहन लाल गुप्ता
3. माननीय विधायक श्री नवरतन राजोरिया
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
6. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
7. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
8. अति० आयुक्त भूमि (पूर्व)/(पश्चिम)/(प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
9. वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट/एम.पी.) जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन जविप्रा, जयपुर।
11. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

17/5/2006
सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।